कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा, 270, आनन्द विहार, श्रीनगर, हापुड़।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**118 / 08, 05.03.2008**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा, 270, आनन्द विहार, श्रीनगर, हापुड द्वारा दिनांक 05.03.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर करदेयता की स्थिति जाननी चाही गयी है :-

1. रूमाल
2. साड़ी का फॉल
3. बुकरम (टेटरान)
4. रैक्सीन
5. वैलवेट क्लाथ
6. शनील कपड़ा
7. कम्बल, लोई, खेस
8. तौलिया

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 29.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उक्त वस्तुएं पूर्व में व्यापार कर अधिनियम के अधीन करमुक्त थीं, किन्तु वाणिज्य कर में इन पर करदेयता की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-409, दिनांक 30.04.2008 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि रैक्सीन को 12.5% वैट की श्रेणी में तथा कम्बल, लोई, तौलिया, शॉल आदि को वैट के अन्तर्गत 4% की श्रेणी में रखा गया है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि ''रूमाल'' के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र संख्या-141 / 2008 सर्वश्री राहुल सिंघल, अधिवक्ता, वसी कीरतपुर, बिजनौर के प्रकरण में दिनांक 08.07.2008, ''साड़ी का फॉल'' के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र संख्या-212 / 2008 सर्वश्री वी0 एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, 1 / 73, एस0 आर0 मार्केट चौराहा पीपल मण्डी, आगरा के प्रकरण में दिनांक 08.07.2008, ''बुकरम (टेटरान)'' के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र संख्या-114 / 2008 सर्वश्री लक्ष्मी काटसिन लि0, 81 / 84 के-धनकुट्टी, कानपुर के प्रकरण में दिनांक 25.06.2008, ''कम्बल, लोई, खेस'' के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र संख्या-379 / 08 सर्वश्री मोहम्मद सलीम अन्सारी, पुरानी दरी मण्डी, थामसेन गंज, सीतापुर के प्रकरण में दिनांक 02.01.2014, ''तौलिया'' के मामले में प्रार्थना-पत्र संख्या-74 / 2008 सर्वश्री मैफेयर इण्टर प्राइजेज, जी-23, न्यू मुमताज मार्केट, राम कृष्ण पार्क, लखनऊ के प्रकरण में दिनांक 29.02.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय पारित करते हुए करदेयता पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी है। उपरोक्त निर्णयों में रूमाल पर 4% + विधि अनुसार

.....2

अतिरिक्त कर की दर से करदेयता, साड़ी का फॉल, बुकरम (टेटरान) को करमुक्त, कम्बल, लोई, खेस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता तथा तौलिया पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता अवधारित की गयी है। ''रैक्सीन'' उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। ''वैलवेट क्लाथ'' एवं ''शनील कपड़ा'' उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 के अन्तर्गत करमुक्त होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि रूमाल, कम्बल, लोई, खेस एवं तौलिया इत्यादि के सम्बन्ध में पूर्व में ही उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत विभिन्न मामलों में निर्णय देते हुए 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की जा चुकी है पुनः अभिनिर्धारण की आवश्यकता नहीं है। साड़ी का फॉल, बुकरम (टेटरान), वैलवेट क्लाथ एवं शनील कपड़ा पूर्व में पारित उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के निर्णयों के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 के अन्तर्गत करमुक्त होंगे। ''रैक्सीन'' उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है। अतः इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 फरवरी, 2014

ह0 / 07.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।